

## सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

### थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण, तीन अभियुक्तगण हत्या में प्रयुक्त मोटरसाईकिल, मोबाईल फोन तथा पत्थर आदि सहित गिरफ्तार।

दिनांक 24.05.2021 को थाना अफजलगढ क्षेत्रान्तर्गत रामगंगा नदी के पास भजनलाल पुत्र गणेशाराम नि0 कटारमल थाना अफजलगढ बिजनौर का शव बरामद हुआ। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। घटना के सम्बन्ध में मृतक की पत्नी श्रीमति प्रकाश कौर की तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 143/21 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

मेरे द्वारा घटना का संज्ञान लते हुए तत्काल अनावरण व संलिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना अफजलगढ/सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया। पुलिस द्वारा की गयी विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियुक्तगण 1.नरेन्द्र सिंह पुत्र बिशम सिंह 2.सुरजीत सिंह उर्फ संदीप उर्फ बाबा 3. गुरवचन सिंह पुत्रगण बगीच सिंह निवासीगण ग्राम कटारमल थाना अफजलगढ का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 31.05.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व क्षेत्राधिकारी अफजलगढ के कुशल पर्यवेक्षण में सर्विलांस टीम/थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय करीब 05.30 बजे भिक्कावाला तिराहे से अभियुक्तगण 1.नरेन्द्र सिंह 2.सुरजीत सिंह उर्फ संदीप उर्फ बाबा 3.गुरवचन सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

**पूछताछ का विवरण:-** अभियुक्त गण द्वारा पूछताछ में बताया कि मृतक तथा अभियुक्तगण एक ही गांव के तथा सजातीय है। अभियुक्त नरेन्द्र सिंह का मृतक भजनलाल की पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा शादी करना चाहता था। भजनलाल इसका विरोध करता था। इसके चलते अभियुक्त नरेन्द्र सिंह द्वारा अपने साथी सुरजीत सिंह व गुरचरन सिंह उपरोक्त के साथ मिलकर दिनांक 23/24.05.2021 की रात्रि रामगंगा नदी के किनारे कपडे से गला दबाकर तथा सिर में पत्थर मारकर भजनलाल उपरोक्त की हत्या कर शव को रामगंगा नदी के किनारे फेंक दिया। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाईकिल, तीन मोबाईल फोन, मृतक का आधार कार्ड व पासबुक, आलाकत्ल कपडा, पत्थर, ब्लूटूथ आदि बरामद किया गया।

### **अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

- 1.नरेन्द्र सिंह पुत्र बिशम सिंह निवासी ग्राम कटारमल थाना अफजलगढ, जनपद बिजनौर।
- 2.सुरजीत सिंह उर्फ संदीप उर्फ बाबा पुत्र बगीच सिंह निवासी ग्राम कटारमल थाना अफजलगढ, जनपद बिजनौर।
3. गुरवचन सिंह पुत्र बगीच सिंह निवासी ग्राम कटारमल थाना अफजलगढ, जनपद बिजनौर।



### बरामदगी:-

1. एक अदद आला कत्ल (पत्थर, कपडा, ब्लूटूथ)।
2. हत्या मे प्रयुक्त मोटर साईकिल न0 UP20AE7220 हीरो स्पलैण्डर प्रो ।
3. हत्या मे प्रयुक्त मोटर साईकिल न0 UP21K3493 कावासाकी बोक्सर ।
3. अभि0 नरेन्द्र उपरोक्त से 01 अदद मोबाइल विवो कम्पनी तथा जामा तलाशी से 1558 रूपये।
4. अभि0 सुरजीत उपरोक्त से 01 अदद मोबाइल रेडमी कम्पनी ।
5. अभि0 गुरुचरन उपरोक्त से 01 अदद मोबाइल लेनोवो कम्पनी ।
6. एक अदद आधार कार्ड मृतक भजनलाल ।
7. एक अदद बैंक पासबुक मृतक भजनलाल ।
8. एक अदद स्टील ग्लास ।

### आपराधिक इतिहास:-

- ❖ नरेन्द्र सिंह उम्र 27 वर्ष पुत्र विशन सिंह निवासी ग्राम कटारमल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 1. मु0अ0सं0 143/21 धारा 302/201/34 भादवि थाना अ0गढ बिजनौर ।
- 2. मु0अ0सं0 239/18 धारा 147/323/504/506/392 भादवि व 135 वि0अधि0 बनाम नरेन्द्र उपरोक्त ।

❖ सुरजीत सिंह उर्फ संदीप उर्फ बाबा उम्र 25 वर्ष पुत्र बगीच सिंह निवासी ग्राम कटारमल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

1.मु0अ0सं0 143/21 धारा 302/201/34 भादवि थाना अ0गढ बिजनौर ।

2.मु0अ0सं0 212/18 धारा 363,366 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट बनाम सुरजीत उपरोक्त ।

❖ गुरचरन उम्र 19 वर्ष पुत्र बगीच सिंह निवासी ग्राम कटारमल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

1.मु0अ0सं0 143/21 धारा 302/201/34 भादवि थाना अ0गढ बिजनौर ।

**अनावरण/गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम:-**

1.प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार थाना अ0गढ बिजनौर ।

2.उ0नि0 श्री दिनेश कुमार शर्मा थाना अ0गढ बिजनौर ।

3.उ0नि0 श्री किरनपाल सिंह थाना अ0गढ बिजनौर ।

4.उ0नि0 श्री मैन कुमार थाना अ0गढ जनपद बिजनौर ।

5.उ0नि0 श्री प्रवीण मलिक थाना अ0गढ जनपद बिजनौर ।

6.का0 1084 मोहित कुमार सर्विलांस टीम बिजनौर ।

7.का0 1401 राहुल कुमार थाना अ0गढ बिजनौर ।

8.का0 616 संदीप कुमार थाना अ0गढ बिजनौर ।

9.का0 1541 नारायणचन्द थाना अ0गढ बिजनौर ।

10.का0 174 सीमान्त थाना अ0गढ बिजनौर ।

11.का0 35 ओमसिंह थाना अ0गढ जनपद बिजनौर ।

12.का0 1118 मोहित कुमार थाना अ0गढ जनपद बिजनौर ।

13.का0 1370 राकेश शर्मा थाना अ0गढ जनपद बिजनौर ।

**थाना शेरकोट:-** आज दिनांक 31.5.21 को थाना शेरकोट पर पंजीकृत वांछित मु0अ0सं0 97/21 धारा 11 पशु कूरता अधि0 के वांछित अभि0 फहीमुद्दीन पुत्र मसीतुल्ला निवासी ग्राम जमालपुर उदयचन्द उर्फ मिर्जापुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।





थाना हीमपुर:- आज दिनांक 31.05.2021 को थाना हीमपुर जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1. सबू पुत्र अच्छन उम्र 30 वर्ष 2.हसीन पुत्र हसीनुददीन उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम गागू नगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।



**थाना नगीना:-** आज दिनांक 31.5.2021 को उपनिरीक्षक श्री विनोद कुमार व उपनिरीक्षक श्री वेद प्रकाश शर्मा मय हमराह कांस्टेबल सुभाष व कांस्टेबल दीपक के द्वारा अभियुक्त सलीम पुत्र अकबर अली निवासी बिलाल बस्ती थाना कोतवाली देहात को दो अदद चोरी की मोटरसाइकिल फर्जी नंबर प्लेट व फर्जी आरसी सहित गिरफ्तार किया जिसके सम्बन्ध थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 206/21 धारा 420, 467, 468, 471, 411 भादवि0 पंजीकृत किया गया। बरामद मोटरसाइकिल थाना नहतौर के मुकदमा अपराध संख्या 192/20 धारा 379 व थाना नजीबाबाद के मुकदमा अपराध संख्या 452/19 धारा 379 आईपीसी से संबंधित है

उक्त मोटर साइकिलों को अभियुक्त एजाज अहमद पुत्र शरीफ व नौशाद पुत्र कमरुद्दीन निवासी गण आले अलीपुर उर्फ कीरतपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा चोरी किया था तथा अभियुक्त सलीम उपरोक्त के पास रख दिया था। अभि0 एजाज व नौशाद उपरोक्त को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।



**थाना किरतपुर -** श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बिजनौर के आदेशानुसार व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व थाना प्रभारी के निकट पर्यावेक्षण मे पुरस्कार घोषित31 वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के अभियान के अर्न्तगत दिनांक/05.2021 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मोतीचूर तिराहे पर अभियुक्त वसीम पुत्र ताहिर निवासी मौहल्ला बसन्ती माता हाल निवासी मकान जाहिद पुत्र हबीबुरहमान निवासी मौहल्ला शबनी ग्रान करबा व मोहल्ला नजीबाबाद जो थाना नजीबाबाद के अपराध संख्या 424/302 धारा 2020/बी भादवि120 में वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधी है ,जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर द्वारा 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है ,को एक अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 12 अदद जिन्दा कारतूस 2 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु149 0सं0अ0/2021 धारा 3/आयुध अधिनियम 25 पंजीकृत किया गया है ।

**अभियुक्त का नाम व पता:-**

वसीम पुत्र ताहिर निवासी मौहल्ला बसन्ती माता हाल निवासी मकान जाहिद पुत्र हबीबुरहमान निवासी मौहल्ला शबनी ग्रान करबा व मोहल्ला नजीबाबाद

**बरामदगी: -**

एक अदद देशी तमंचा 12 बोर मय अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

**अपराधिक इतिहास -**

1. मु0सं0अ0- 424/302 धारा 2020/बी भादवि120
2. मु149 0सं0अ0/2021 धारा 3/आयुध अधिनियम 25

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ 0नि0श्री मीर हसन
2. कापुष्पेन्द्र चाहल 864 0
3. का अनुज चौहान 1270 0
4. का आस मौहम्मद 705 0



### प्रेस नोट थाना शेरकोट

दिनांक 31.05.21 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद मे चलाये जा रहे शातिर अपराधीयो की गरिफ्तारी हेतु अभियान के अन्तर्गत व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो के अनुपालन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी अगढ महोदय के कुशल प्रयवेक्षण मे थाना शेरकोट पुलिस को बडी सफलता प्राप्त 0 श्र 0नि0हुई है। थानाध्यक्ष शेरकोट अनुज कुमार तोमर मय उी दिनेश कुमार मय का 118 0सुजीत कुमार मय का 862 0 प्रोमद कुमारदौराने चैकिग सदिग्ध व्यक्ति /वाहन मुकदमा अपराध संख्या 55/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट नामित एवं वांछित अभियुक्त भूदेव शर्मा पुत्र हरस्वरुप शर्मा नि ग्राम मोहदीनपुर थाना रेहड जिला बिजनौर 0 को उसके घर से समय करीब 09.बजे गिरफ्तार 30 किया गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा उक्त अभियुक्त पर 15,000/रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम -

1. श्री अनुज कुमार तोमर थानाध्यक्ष शेरकोट बिजनौर
2. उ श्री 0नि0दिनेश कुमार थाना शेरकोट बिजनौर
3. का प्रमोद कुमार थाना शेरकोट बिजनौर 118 0
4. का सुजीत कुमार थाना शेरकोट बिजनौर 862 0

